36वें संसदीय प्रशिक्षु कार्यक्रम में प्रतिभागियों से संवाद

17 देशों से इन्टर्नशिप करने आए 44 प्रशिक्षुओं, अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं भारत की संसद में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।

मुझे खुशी है कि 17 देशों से आने वाले सभी लोग नौजवान हैं, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं। निश्चित रूप से आप अपनी-अपनी डेमोक्रेटिक संस्थाओं के अंदर लंबे समय तक सर्व करेंगे और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करेंगे और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे।

भारत लोकतंत्र की जननी है इसलिए इसको 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' कहते हैं। हमारा पुराना इतिहास, हमारी परंपराएं हमेशा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक विचारों को मानती है। हमारे पुराने इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें किस तरीके से लोकतांत्रिक विचार, लोकतांत्रिक व्यवहार और आचरण हो, इसका उल्लेख मिलता है। उसके कारण डेमोक्रेसी हमारे मन और विचारों में है।

एक लंबे कालखंड के बाद, 1947 में देश आजाद हुआ। उस समय हमारे नेताओं के बीच यह मंथन हुआ कि हमें कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली अपनानी चाहिए। बड़े विचार-विमर्श के बाद हमने संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई। दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर अब संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है। भारत में संविधान को लेकर लंबी चर्चा हुई, लंबी डिबेट हुई। सभी नेताओं ने चर्चा-संवाद, अपने अनुभव और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं शासन कैसा हो, इस बारे में विचार-विमर्श किया।

75 सालों में देश में 17आम चुनाव हुए, स्टेट एसेम्बलीज के 300 चुनाव हुए और जिस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यह हमारे संविधान की ताकत है।

मुझे आशा है कि आप संविधान सभा की डिबेट को भी देखेंगे। उसकी चर्चा को भी देखेंगे, सभी देशों के अंदर संविधान चर्चा-संवाद के माध्यम से बना है। भारत के संविधान को देखने के बाद आपको लगेगा कि भारत में इतनी भाषाएं, इतने धर्म है मगर इस विविधता में भी सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान की विशेषता है। उस संविधान के तहत हमारी संसद कैसी होनी चाहिए, उसका कार्यकरण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में व्याख्या की गई है। संविधान में जब कभी संशोधन करना हो, तो उसकी क्या नियम-प्रक्रियाएं होगी, इसके बारे में भी व्याख्या की गई है।

मुझे आशा है कि आप सब 20 दिनों तक परस्पर चर्चा और संवाद करेंगे। अपने देश में लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र के कार्यकरण, संसदों के कार्यकरण आदि पर भी आप अपने अनुभव साझा करेंगे, विचारों को साझा करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने की कोशिश करेंगे। आपके देशों की लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाबदेही के साथ काम करें। आप इसका प्रयास करेंगे।

आप सब इतनी दूर से एक प्रतिभागी के रूप में इसलिए आए हैं, ताकि आप एक सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी संसद के कार्यकरण को, कार्य पद्धति को, नियम प्रकियाओं को बेहतर बनाने में योगदान दे सकें।

यहाँ पर, हमारे सामने जो लाईब्रेरी है, आप उसको भी देखेंगे। हमारी कोशिश है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, उनके यहाँ की लाइब्रेरीज का और भारत की लाइब्रेरीज का एक कोलैबोरेशन हो ताकि वहाँ की संसदीय परम्पराएं, प्रथाएं, बेस्ट प्रैक्टिसेज, वहाँ के डिबेट्स, चर्चाएं आदि का एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान कर सकें।

भारत में भी उच्च कोटि की चर्चा और संवाद का स्तर है। हमने 75 साल में संसद के माध्यम से, चर्चा-संवाद के माध्यम से एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किया है। अगर एक व्यक्ति को भी किसी बिल या किसी मोशन पर विरोध प्रकट करना हो, तो उसको मत मांगने का अधिकार भारत की संसद के अंदर है। किसी भी माननीय सदस्य को चर्चा-संवाद में सहमति-असहमति का अधिकार है। इसीलिए बहुमत से निर्णय होना, बहुमत से विधेयक पारित होना, विधेयक पर व्यापक चर्चा-संवाद होना, ये हमारी संसद की बेस्ट परंपरा, पद्धतियां हैं। आप विधि निर्माण की पद्धतियां और परंपराओं को भी यहां देखेंगे, संविधान संशोधन व उसकी नियम-प्रक्रियाओं को भी देखेंगे कि किस तरीके से संविधान संशोधन के अंदर पारदर्शिता हो।

शासन में हमेशा पारदर्शिता रहनी चाहिए, जवाबदेही रहनी चाहिए, शासन जनता के लिए उत्तरदायी रहना चाहिए, ये हमारी संसदीय परंपराओं का हिस्सा है।

मुझे आशा है कि 20 दिनों तक आप भारत की अलग-अलग क्षेत्रों की विविधताओं को देखेंगे। हमारी अलग-अलग भाषा, अलग-अलग खान-पान, हमारे ऐतिहासिक पुरातत्व संपदाएं, हमारा इतिहास, हमारी गौरवशाली परंपराएं आदि का अनुभव प्राप्त होगा।

मुझे लगता है कि प्राइड ने आपके विजिट का भी कार्यक्रम बनाया होगा। आप वहां पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको इस अनुभव का लाभ मिलेगा। 20 दिनों तक जब 17 देशों के लोग एक साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से अपने-अपने देशों के कार्यकरण पर चर्चा होती है, संवाद होता है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, उनको आप सीख कर जाएंगे, अनुभव करके जाएंगे एवं अपनी-अपनी संसदों के अंदर, अपनी संसदीय व्यवस्थाओं के अनुरूप उस कार्यक्रम को श्रेष्ठता से कर पाएंगे। इसलिए जीवन में शिक्षण-प्रशिक्षण निरंतर प्रक्रियाएं हैं। भारत में हमारा मानना है कि कितनी भी उम्र का व्यक्ति हो, कितना भी अनुभवी व्यक्ति हो, शिक्षण और प्रशिक्षण हमेशा अधूरा है। हर व्यक्ति में सीखने, नया अनुभव करने, नया ज्ञान अर्जित करने के लिए हमेशा जिज्ञासा होनी चाहिए।

मुझे लगता है कि आप 20 दिनों तक चर्चा-संवाद में कुछ यहां से सीखेंगे, हो सकता है कि आपके अनुभव का लाभ भारत की संसद ले। आपके यहां जो श्रेष्ठतम कार्य होते हैं, हमारे कर्मचारी उसको एडॉप्ट करें। ये सभी प्रशिक्षण में हम एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे।

मैं भारत की संसद में पुन: आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।